न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 82 / 2022

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. भैरूलाल पुत्र बाबूलाल जाति जैन निवासी नंबर 4 स्कूल के पास बाड़मेर (मैसर्स नवकार ट्रेडिंग कंपनी, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का मेनेजर)
2. सीमा जैन पत्नी भैरूलाल जाति जैन निवासी नंबर 4 स्कूल के पास बाड़मेर (मैसर्स नवकार ट्रेडिंग कंपनी, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर की प्रोप्राईटर)
3. मोदी चिराग कुमार प्रेमचन्द भाई पार्टनर ऑफ मैसर्स मंथन प्रोडेक्ट, अखोल क्रोस रोड़, मारूती होटल के पीछे, डीसा, गुजरात
4. मोदी भावेश कुमार अरवींद भाई पार्टनर ऑफ मैसर्स मंथन प्रोडेक्ट, अखोल क्रोस रोड़, मारूती होटल के पीछे, डीसा, गुजरात

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 की ओर से उपस्थित और अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:13:59 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 20.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स नवकार ट्रेडिंग कंपनी, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **29.04.2022** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड मंथन** जो 15 किलो टिन में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 ग्राम के चार जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1647** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड मंथन** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड मंथन** का नमूना **Unsafe food** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा नमूना का निर्दिष्ट प्रयोगशाला से जांच कराये जाने का निवेदन किया। इस पर प्राप्त नमूना की निर्दिष्ट प्रयोगशाला पूणे से जांच करवाई गई जिसकी रिपोर्ट दिनांक 10.08.2022 में उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

1. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 जरिये अधिवक्ता उपस्थित और अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घी ब्राण्ड मंथन के नाम से विख्यात है "घी" की क्वालिटी सही एवं उत्तम है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशा[illegible]पुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **20.05.2022** में उक्[illegible] **Unsafe food** पाया गया। निर्दिष्ट प्रयोगशाला जांच में **Butyrorefract[illegible]ing at 40 degree C** का मानक स्तर **40.0 to 43.5** के मुकाबले [illegible]7, **Reichert Value** का मानक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:13:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

स्तर **Shall be mini 24.0** के मुकाबले **1.19%** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

3. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर रूपये 50,000/– , अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 50,000/–, अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 पर संयुक्त रूप से रूपये 2,50,000/–का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

4. आदेश आज दिनांक 20.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला ... बाडमेर (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:13:59 IST
Reason: SelfAttested